<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-207/2008

CNR No UPBB180000842008

कमला देवी आदि बनाम मुनव्वर आदि

<u>02.08.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीजन उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित।

वादीजन/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र क-115 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादिनी सं० 2 बागे का देहान्त दिनांक 12.03.2023 को हो गया है। मृतक मजकूर के चार पुत्र असलम, मुस्लिम, रिजवान व इरफान उनके जायज एवं विधिक वारिसान हैं। प्रार्थी चूंकि गांव का निवासी है। उसे कानून की जानकारी न होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई जो काबिले माफी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए व हुए अबेटमेंट को एसाईड करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादीजन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

प्रतिवादिनी सं० 2 बागे का देहान्त दिनांक 12.03.2023 को होने का कथन किया गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। अतः वारिसान प्रार्थना पत्र क- 115 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीजन को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान कर उपशमन अपास्त करते हुए प्रार्थना पत्र क- 115 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर सात दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.10.2024 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक प्रभावी।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं० 14, बाराबंकी।